संख्या- 35 /2026 / 3765 /चार-2025-1687602

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2026**

विषय:- राज्य संग्रहालय लखनऊ के प्राणिशास्त्र आरक्षित संकलन में संग्रहीत जीव-जन्तुओं के संरक्षण हेतु रू0 45.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-895/उ0प्र0सं0नि0-5(148)/2023-24 दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-117/2022/199/चार-2022 दिनांक 31 मार्च 2022 द्वारा राज्य संग्रहालय लखनऊ के प्राणिशास्त्र आरक्षित संकलन में संग्रहीत जीव-जन्तुओं के संरक्षण हेतु रू0 450.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 140.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राज्य संग्रहालय लखनऊ के प्राणिशास्त्र आरक्षित संकलन में संग्रहीत जीव-जन्तुओं के संरक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 45.00 लाख (रूपये पैंतालीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या- 280 /2024 / 1822 /चार-2024 दिनांक 31 जुलाई, 2024, शासनादेश संख्या-232/2023/3041/चार-2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023, शासनादेश संख्या-36/2023/288/चार-2023 दिनांक 02 फरवरी, 2023, शासनादेश संख्या-137/2022/762/चार-2022 दिनांक 09 जून, 2022 तथा शासनादेश संख्या-117/2022/199/चार-2022 दिनांक 31 मार्च 2022 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संग्रहालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किये गये कार्यों का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वार्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-42-अन्य व्यय, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय लखनऊ मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 35 /2026 / 3765 (1)/चार-2025-1687602 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- रजिस्ट्रार/ प्रिन्सिपल इन्वेस्टीगेटर/ विभागाध्यक्ष, संग्रहालय विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4- निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0 प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in